न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमाः–24/21

रामदेवाराम पुत्र हडमानाराम जाति जाट निवासी सूतोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. सायरकंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
2. असमानसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
4. गोपालकंवर पत्नि चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
5. कृष्णसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
6. महावीरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
7. प्रेमकंवर पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
8. प्रभुसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
9. राजेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासीढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
10. विजेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासीढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
11. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जोरावरसिंह उर्फ जोरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर
12. नारायणराम पुत्र मूलाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
13. लिछमणराम पुत्र सोहनराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भांभूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
14. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 9/12/2021

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 636 तादादी 3.5157 हेक्टेयर भूमि वाके रोही ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में संयुक्त स्वामित्व का स्थित है जिसमें प्रार्थी का 21/139 हिस्सा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि चन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भाम्भूवान से जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2002 कार्यालय उप पंजीयक सुजानगढ के आधार पर खरीद की थी।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

व खसरा भूमि के पास ही खसरा संख्या 637, 638, 639 स्थित है। खसरा संख्या 636 का रकबा 3.5157 हेक्टेयर, खसरा संख्या 637 का रकबा 0.0632 हेक्टेयर, खसरा संख्या 638 का रकबा 0.0379 हेक्टेयर व खसरा संख्या 639 का रकबा 0.0379 हेक्टेयर है। ढढेरू भाम्भूवान के अक्स सम्वत् 2002 में उपरोक्त खसरों की सही तरमीम की गई है। लेकिन सम्वत् 2028 में सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने अक्स में खसरा संख्या 636 की जगह 639 कर दिया व खसरा संख्या 639 की जगह 636 की तरमीम कर दी। इस प्रकार 636 व 639 की अक्स में तरमीम गलत कर दी गई अर्थात् अदला बदली कर दी गई। खसरा संख्या 636 का रकबा काफी बडा है व खसरा संख्या 639 का रकबा काफी छोटा है जो देखने से ही पता चलता है। लेकिन सेटलमेंट कर्मचारीयों की गलती से दोनों खसरों में परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। जो तरमीम सम्वत् 2002 के अक्स में की गई है। वो एकदम सही है। सेटलमेंट के कर्मचारीयों को उसी अनुसार नई तरमीम करनी चाहिए थी। लेकिन सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने गलत रूप से तरमीम कर दी। प्रार्थी ने दिनांक 1.9.2021 को अप्रार्थीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि खेत की अक्स में जो तरमीम की गई है वो गलत है उक्त तरमीम को सम्वत् 2002 के अंक्स के अनुसार राजस्व एक्स में तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व एक्स में संशोधन कराये। इस पर अप्रार्थीगण ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व एक्स में सम्वत् 2002 के अक्स के अनुसार तरमीम करवाकर वर्तमान राजस्व अक्श में संशोधन कराये। राजस्व अक्स को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी को अपने खेत के नक्शे की आवश्यकता होने पर जब पटवारी हल्का से नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 1.9.2021 को प्राप्त की तब प्रार्थी को अपने खेत के नक्शे को देखने पर पता चला की वर्तमान नक्शा कब्जा काश्त मौका के अनुसार नहीं है। तब पटवारी से पुछताछ करने पर पता चला की सम्वत् 2028 में सेटलमेंट के कर्मचारीयों ने अक्स में खसरा संख्या 636 की जगह 639 व खसरा संख्या 639 की जगह 636 की तरमीम कर दी। उक्त वक्त से ही यह गलत नक्शा चल रहा है। ओर पटवारी ने भी अपने स्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व प्रार्थी को गलत नक्शा की जानकारी नहीं थी। प्रार्थना पत्र राजस्व एक्स में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 14 पेरोकार राज ने

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वादगत भूमि के संबध में राजहित नहीं होना अंकित किया है तथा प्रार्थी की मांग अनुसार राजस्व अक्स में खसरों की शुद्वि की जानी उचित बताई है।

हमनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण केवल राजस्व अक्स में दुरूस्ती का है। वास्तव में खसरा संख्या 636 का रकबा काफी बडा है ओर खसरा संख्या 639 का रकबा काफी छोटा है लेकिन अक्स में देखने से पता चलता है कि स्थिती एक दूसरे के विपरित है। सेटलमेंट कर्मचारियों के सहवन से अक्स में वादगत भूमि के खसरा संख्या 636 की जगह 639 अंकित किया गया है व खसरा संख्या 639 की जगह 636 अंकित किया गया है जिसको शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम ढढेरू भांभूवान के राजस्व अक्स में खसरा संख्या 636 की जगह खसरा संख्या 639 व खसरा संख्या 639 की जगह खसरा संख्या 636 का अंकन करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/12/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner